अनुदान संख्या 59 - श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 59–MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1643,56,00		2143,57,00	2038,16,63	–105,40,37
पूरक	Supplementary	500,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					91,06,13

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम तथा रोजगार" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (10540.37 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 50001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" – "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (Rs.10540.37 lakhs) constituted 21 percent of the supplementary grant of Rs.50001.00 lakhs obtained in March, 2007 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1720.00	1601.20	1508.88	–92.32
पु.	R.	–118.80			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	150594.00			
पू.	S.	50001.00	198140.62	196841.58	–1299.04
पु.	R.	–2454.38			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3368.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3368.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	8370.00	5159.82	5145.45	–14.37
पु.	R.	–3210.18			

(I) 4287.50 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4268.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम" -

(क) "बीड़ी कामगार कल्याण निधि - बीड़ी कामगारों और निम्न आय व्यवसाय समूहों के लिए मकानों का निर्माण"- 500.00 लाख रु. निम्न आय व्यवसाय समूहों के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के लिए मकानों के निर्माण संबंधी स्कीम (बीड़ी श्रमिक आवास योजना) को स्वीकृत न किए जाने के कारण थे।

(ख) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्रा कामगार स्कीम के लिए सामाजिक सुरक्षा" -

(I) Provision of Rs.4287.50 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.4268.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" – "Labour" –

(a) "Beedi Workers Welfare Fund – Construction of Houses for Beedi Workers and low income occupation clusters" - Rs.500.00 lakhs - due to non-sanction of scheme for construction of houses for beedi workers under low income occupational cluster (Beedi Shramik Awas Yojana).

(b) "Social Security for Labour – Social Security for Unorganised Sector Workers

400.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 3368.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251'' - ''सचिवालय - श्रम मंत्रालय'' - 211.12 लाख रु. की बचत (1720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का आयोजन न किए जाने, बिलों की प्राप्ति न होने की वजह से चिकित्सा यात्रा व्ययों, किराया दरों और करों, व्यावसायिक सेवाओं तथा प्रकाशनों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2230'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''श्रम'' -

(क) ''अनुसंधान और सांख्यिकी - अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें'' - 522.61 लाख रु. की बचत (1545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, स्कीम का देरी से अनुमोदन किए जाने और खरीद प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) ''कार्य की स्थितियां और सुरक्षा'' -

(i) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - 137.57 लाख रु. की बचत (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय दर संविदा के अंतर्गत कम्प्यूटरों की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य)'' - 196.46 लाख रु. की बचत (1954.95 लाख रु. के स्वीकृत

Scheme" - Rs.400.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure – Lumpsum Provision for Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim" – Rs.3368.00 lakhs - due to re – appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Labour" – saving of Rs.211.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1720.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-holding of Prime Minister's Shram Award, less expenditure on medical travel expenses, Rent, Rates and Taxes, Professional Services and Publications owing to non-receipt of bills.

(III) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Labour" -

(a) "Research and Statistics – Plan Schemes under Research and Statistics" – saving of Rs.522.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1545.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, late approval of scheme and non-materialisation of purchase proposal.

(b) "Working Conditions and Safety" -

(i) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S)" - saving of Rs.137.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to non–filling up of vacant posts, non-supply of computers under Directorate General of Supplies and Disposals rate contract.

(ii) "Director General of Mines Safety (Main)" – saving of Rs.196.46 lakhs (against the sanctioned provision of

प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित न किए जाने और वकीलों के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''अनुसंधान और प्रशिक्षण'' - 133.98 लाख रु. की बचत (761.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि - स्वास्थ्य'' - 299.53 लाख रु. की बचत (745.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाली पदों के न भरे जाने, चल चिकित्सा इकाई के लिए रोगी वाहन की खरीद न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न औषधालयों में निर्माण कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''बाल/महिला श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष'' - 710.52 लाख रु. की बचत (12705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत-अमेरिकी परियोजना के कुछ आवश्यक संघटकों के प्रचालन न किए जाने और पूर्ण दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ड.) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को भारत का अंशदान'' - 191.78 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में घट-बढ़ होने के कारण हुई।

(खा) ''रोजगार - अनुसंधान, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - शारीरिक रूप से विकलांगों को सहायता'' -106.05 लाख रु. की बचत (983.26 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''योजनेतर अनुदान - श्रम - बीड़ी कामगार कल्याण निधि - बीड़ी कामगारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास स्कीम'' - 198.86 लाख रु.

Rs.1954.95 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts, non holding of National Safety Conference and non-receipt of Lawyer's bills.

(iii) "Research and Training" – saving of Rs.133.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.761.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of sanction for replacement of vehicles.

(c) "Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund – Health" – saving of Rs.299.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.745.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-purchase of ambulance for mobile medical unit and non-execution of works of dispensaries by Central Public Works Department.

(d) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – saving of Rs.710.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12705.00 lakhs) was due to non – operation of certain essential components of Indo–US Project and non–receipt of complete documents.

(e) "International Co–operation – India's Contribution to the I.L.O." – saving of Rs.191.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(B) "Employment – Research, Survey and Statistics – Assistance to Physically Handicapped" – saving of Rs.106.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.983.26 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less receipt of medical claims.

(IV) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(a) "Non-Plan Grants - Labour – Beedi Workers Welfare Fund – Housing Scheme for Economically Weaker Section of Beedi

की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंध्र प्रदेश की तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता के दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' - 2934.10 लाख रु. की बचत (7940.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान की अधिप्राप्ति में विलंब होने, विकास तथा नई प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाने में हुए विलंब की वजह से राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) नौ शीर्षों के अंतर्गत 644.51 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष '2230'' - ''श्रम'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि - शिक्षा'' -179.77 लाख रु. का अधिक व्यय (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीड़ी कामगारों के आश्रितों को दिए जाने वाले अध्येतावृत्ति और छात्रावृत्ति के लंबित आवेदनों के समाशोधन के कारण हुआ।

(खा) ''श्रमिक शिक्षा - केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान'' - 336.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2699.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों, पेंशनों और कार्यालय खर्च आदि की प्रतिबद्ध देयताओं के कारण हुआ।

(गा) ''आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण - बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण'' - 137.00 लाख रु. का अधिक व्यय (12500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्मित बीड़ियों पर उपकर संग्रहण की दरों में संशोधन होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

Workers" – saving of Rs.198.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-receipt of subsidy claims from State Governments of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – saving of Rs.2934.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7940.00 lakhs) was due to delay in procurement of goods and less receipt of proposals from the State Governments owing to delay in development and adoption of new training system.

(V) Under nine heads savings of Rs.644.51 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2230" - "Labour" - under the following heads:-

(A) "Beedi Workers Welfare Fund – Education" – excess of Rs.179.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to clearance of pending applications of scholarships and stipend given to the wards of Beedi Workers.

(B) "Labour Education – Grants to Central Board for Worker's Education" – excess of Rs.336.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2699.00 lakhs) was due to committed liabilities of pay and allowances, pensions and office expenses etc.

(C) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts – Transfer to Beedi Workers Welfare Fund" – excess of Rs.137.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12500.00 lakhs) was due to revision of rates of cess collected on manufactured Beedies.

(II) Under one head excess of Rs.60.00 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

4. *अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

वर्ष 2006-2007 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

4. ***Mica Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2006 – 2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	3,03,78
प्राप्तियां	Receipts	1,81,61
अदायगियां	Payments	1,16,08
अंतशेष	Closing Balance	3,69,31

5. *लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2006-2007 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

5. ***Iron Ore Mines, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 that came into force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2006–2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	132,81,80
प्राप्तियां	Receipts	15,07,92
अदायगियां	Payments	8,73,64
अंतशेष	Closing Balance	139,16,08

6. *बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-*

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के निर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्त पोाषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम,1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

वर्ष 2006-2007 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

6. ***Beedi Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from Ist January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2006–2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	30,72,76
प्राप्तियां	Receipts	127,50,74
अदायगियां	Payments	134,48,25
अंतशेष	Closing Balance	23,75,25

7. *चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जोकि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

7. ***Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed thereunder, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

वर्ष 2006-2007 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2006–2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	43,29,06
प्राप्तियां	Receipts	18,08,12
अदायगियां	Payments	7,72,96
अंतशेष	Closing Balance	53,64,22

8. ***सिने कामगार कल्याण निधि:-***

यह निधि सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिने कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

वर्ष 2006-2007 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

8. ***Cine Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

The Account of the Fund for 2006–2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,36,52
प्राप्तियां	Receipts	1,26,17
अदायगियां	Payments	91,97
अंतशेष	Closing Balance	1,70,72